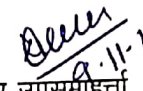
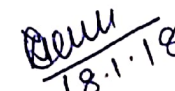


भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-103/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
09.11.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 11.12.2017 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 11.12.2017 को उपस्थापित करें।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
11.12.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि 18.01.2018 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 18.01.2018 को उपस्थापित करें।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
18.01.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 64 (बी), दिनांक 18.01.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक सुरेन प्रमाणिक, पिता आर. के. प्रमाणिक, ग्राम-कोलचोकड़ा, पोस्ट-चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-श्यामरायडीह, खाता नं०-31, प्लॉट नं०-149, रकबा-0.65 ए०, क्रेता श्री कार्तिक कुमार महतो, पिता-स्व० रामेश्वर महतो, ग्राम-नुवागांव, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक सुरेन प्रमाणिक, पिता आर. के. प्रमाणिक के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास 7,00,000/- (सात लाख) रुपये में बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना-चक्रधरपुर के निवासी हैं। विक्रेता "नापित" एवं क्रेता "कुर्मी" दोनों (अ.पि.वर्ग.) समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकबा-2.65 ए० भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री कार्तिक कुमार महतो, पिता-स्व० रामेश्वर महतो, ग्राम-नुवागांव, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	